साक्षर भारत

अब कोई भूखा न रहे

(खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)

आभार

साक्षर भारत कार्यक्रम सितम्बर 2009 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत देश के निम्न महिला साक्षरता दर वाले 410 जिलों को सम्मिलित किया गया है। साक्षर भारत कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय है। कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता के साथ-साथ समतुल्यता कार्यक्रम, कौशल विकास व सतत् शिक्षा को भी जोड़ा गया है।

साक्षरता को शिक्षार्थियों/लाभार्थियों के दैनिक जीवन से अधिक जुड़ा हुआ व रोचक बनाने के उद्देश्य से इन्टरपर्सनल मीडिया कैम्पेन प्रारंभ किया गया है। कैम्पेन में जिन प्रमुख विषयों पर बल दिया जा रहा है उनमें कानूनी साक्षरता भी एक प्रमुख विषय है।

कानूनी साक्षरता की जानकारी सहज रूप में जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कानूनी साक्षरता श्रृंखला का निर्माण किया गया है। कानूनी साक्षरता सामग्री का निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशाला में राज्य संसाधन केन्द्र, इंदौर, भोपाल, रांची, पलामू के साथियों द्वारा विषय विशेषज्ञों तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के मार्गदर्शन में किया गया है।

कानूनी साक्षरता सामग्री के निर्माण में न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार व यूएनडीपी के A2J प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट टीम द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया व सामग्री का अनुमोदन न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण सभी सहयोगी संस्थाओं/विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता है। आशा है कि यह सामग्री कानूनी साक्षरता के प्रति जन सामान्य में कानूनी जागरुकता लाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

अब कोई भूखा न रहे

'क्यों रे रामू ये किसना का दिमाग तो ठीक है न?' काका ने रामू से पूछा।

'क्यों क्या हुआ काका?' रामू ने पूछा।

'अरे होना क्या है? पूरे गांव में कहता फिरता है कि सरकार अब सभी गरीबों को सस्ते दामों पर अनाज देने वाली है।'

'ऐसा कह रहा है? फिर तो जरूर ही उसका दिमाग खिसक

गया है। ऐसा हो सकता है क्या?' रामू बोला।

'यदि सरकार ऐसा कर रही है तो सब लोग खुश हो जाओ न। इसमें परेशानी क्या है?' झुमरी बोली

'चलो लोक शिक्षा केन्द्र के प्रेरक सुरेश से पूछते हैं।' काका बोले।

सब लोक शिक्षा केन्द्र गए। 'नमस्ते सुरेश भाई' रामू ने कहा। 'नमस्ते, आओ-आओ क्या बात है! सभी लोग एक साथ।' सुरेश ने पूछा।

'सुरेश भाई हम सरकार की अनाज वाली योजना के बारे में आपसे जानना चाहते हैं।'

'हां हां जरूर। बैठो मैं बताता हूं। सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना निकाली है। सरकार गरीबों को अच्छा जीवन बिताने के लिए पौष्टिक, गुणों से परिपूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना चाहती है ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे।' सुरेश ने बताया।

रामू ने पूछा 'योजना में मिलेगा क्या?'

'इसके तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज सभी गरीब लोगों को रियायती दाम में मिलेगा।'

'महिलाओं के लिए क्या लाभ है?' झुमरी ने पूछा।

'गर्भवती तथा शिशु को स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए खास प्रावधान हैं। जिन परिवारों की मुखिया महिला है उनके लिए भी काफी लाभ हैं। इस योजना के अनुसार महिला ही घर की मुखिया मानी जाएगी और कार्ड महिला के नाम ही बनेगा।' सुरेश ने बताया।

'कार्ड कहां बनेगा?' रामू ने पूछा।

'यह ग्राम पंचायत या खाद्य विभाग के कार्यालय में बनेगा।' सुरेश ने बताया।

'पर यह अनाज मिलेगा कहां?' काका ने पूछा।

सुरेश ने कहा 'सरकारी उचित दर की दुकानों के माध्यम से मिलेगा।'

झुमरी ने पूछा- 'मास्टरजी एक महीने में कितना अनाज

मिलेगा?'

'प्रत्येक परिवार को 35 किलो अनाज मिलेगा।' सुरेश ने जवाब दिया।

काका खुश होकर बोले- 'सुरेश तुम्हारा धन्यवाद। तुमने इतनी सारी जानकारी दी। अब हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा।'

'सही कहा काका।' झुमरी बोली।

❑

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के महत्वपूर्ण बिन्दु

- सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक, पर्याप्त मात्रा में तथा पोषक गुणों से भरपूर खाद्य पदार्थ आमजन को सस्ते मूल्य में उपलब्ध करवाने के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- आमजन के लिए खाद्य और पोषण सम्बन्धी सुरक्षा और उससे संबंधित व्यवस्था करने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं -
- **उचित दर की दुकान** - इसका मतलब ऐसी दुकान से है जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत राशन कार्ड धारकों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वस्तुओं को वितरण करने का लायसेंस दिया गया हो।
- **खाद्यान्न** - चावल, गेहूं, मोटा अनाज या उसके समान अन्य कोई वस्तु जो उसी गुणवत्ता के अनुरूप हो और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों द्वारा तय हो।
- **खाद्य सुरक्षा** - खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य कानून द्वारा बनाए गए नियमों/उप नियमों के तहत खाद्यान्न और भोजन की उचित मात्रा प्रदान किए जाने से संबंधित है।

- **खाद्य सुरक्षा भत्ता** – खाद्य सुरक्षा भत्ता से तात्पर्य धारा – 8 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन हकदार व्यक्तियों को बराबर की धनराशि प्रदान करने से है।
- **ग्रामीण क्षेत्र** – ग्रामीण क्षेत्र अधिनियम के अनुसार स्थापित या गठित किसी नगरीय निकाय अथवा छावनी बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के अलावा किसी भी राज्य का कोई भी क्षेत्र इस कानून के क्षेत्राधिकार में होगा।
- **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली** – उचित दर की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था का प्रावधान।

धारा / नियम

- **धारा** – 3 के अधीन पहचान किए गए पात्र व्यक्तियों को राज्य सरकार से लक्षयित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न, वित्तीय सहायता प्राप्त कीमतों पर प्राप्त करने का हक होगा।
- **धारा** – 4 व 5 एवं 6 में गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषाहार तथा बालकों के लिए पोषणीय सहायता और कुपोषण निवारण के प्रबन्धों के अधिकार का प्रावधान है।

- **धारा** – 12 – लक्षयित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार।
- **धारा** – 13 – राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों को परिवार का मुखिया बनाए जाने का विशेष प्रावधान किया गया है।

कानूनी प्रावधान

- गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार सहायता।
- अधिनियम के अन्तर्गत हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या उनके हक के भोजन न मिलने की दशा में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार।

अधिकार / हक

- लक्षयित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पात्र परिवारों को 'अन्त्योदय अन्न योजना' में वित्तीय सहायता प्राप्त कीमतों पर प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार।
- प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने की हकदार होगी–

- गर्भावस्था और शिशु जन्म के बाद 6 माह के दौरान स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाना, जिससे पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके। परन्तु 6 माह से कम आयु के बच्चों के लिए केवल स्तनपान को ही प्रोत्साहित किया जाएगा।
- गर्भवती स्त्रियों को प्रसूति लाभ के रूप में कम से कम 6 हजार रुपये केन्द्र सरकार द्वारा तय की गई किश्तों में प्राप्त करने का अधिकार है।

◆ कक्षा 8 तक के अथवा छह से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को उसकी पोषणीय जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे –

- 6 महीने से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों को पोषाहार के मानकों को पूरा करने के उद्देश्य से निःशुल्क भोजन प्राप्त करने का अधिकार।
- 6 माह से कम आयु के बालकों के लिए केवल स्तनपान को बढ़ावा दिया जाएगा।
- राज्य सरकार, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों को जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, पहचान कर उन्हें निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी।

प्राधिकरण

लक्षयित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर की दुकान जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वस्तुओं के वितरण का लायसेंस प्राप्त हो।

शिकायत निवारण तंत्र

◆ इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा शिकायतों को हल करने के लिए व्यवस्था की जाएगी, जिसके अन्तर्गत कॉल सेंटर, हेल्प लाइन स्थापित किए जाएंगे एवं नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा।

◆ इस कानून के अन्तर्गत खाद्यान्न या भोजन के वितरण के संबंध में पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी तरीके से निवारण के लिए जिला स्तर पर एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी को भी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है।

◆ इस कानून के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी शिकायतकर्ता जिला/राज्य खाद्य आयोग के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

राज्य खाद्य आयोग की जांच से संबंधित शक्तियां

राज्य खाद्य आयोग को वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी मामले पर विचार करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं। ये इस प्रकार हैं –

- किसी व्यक्ति को तलब करना और हाजिर कराना तथा शपथ के अधीन उसके मामले का विचारण करना।
- मामले से संबंधित किन्हीं भी दस्तावेजों का पेश किया जाना।
- शपथ–पत्रों के अधीन साक्ष्य ग्रहण करना।
- किसी न्यायालय अथवा कार्यालय के मामले से संबंधित किसी लोक अभिलेख की प्रतियों की मांग करना।
- साक्षियों व दस्तावेजों की परीक्षा हेतु कमीशन का गठन करना।
- प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कानून के अन्तर्गत क्रियान्वयन और उसका मूल्यांकन करने के उद्देश्य से राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जाएगा।

दण्ड

इस कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई भी लोक सेवक अथवा जिला शिकायत निवारण अधिकारी की सिफारिशों की जान–बूझकर अवहेलना करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिए जाने के बाद पांच हजार रूपये तक की धनराशि से दण्डित किया जा सकता है।

❑

कानूनी साक्षरता शृंखला पुस्तिकाएं

शीर्षक	शृंखला क्रमांक
◆ **आंखे खुल गईं** (भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य)	1
◆ **और बात बन गई** (गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 व संशोधित 2003)	2
◆ **रमा की पाठशाला** (शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009)	3
◆ **गरिमा का सवाल** (यौन हिंसा के विरुद्ध कानून 2013)	4
◆ **दहेज परंपरा नहीं अभिशाप** (दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961)	5
◆ **आशा की किरण** (घरेलू हिंसा से संरक्षण 2005)	6
◆ **अब कोई भूखा न रहे** (खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)	7
◆ **अत्याचार का अंत** (अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989)	8
◆ **रमेश को मिला न्याय** (नि:शुल्क विधिक सहायता)	9
◆ **हमारे जंगल - हमारी धरोहर** (अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008)	10
◆ **यूं बनी सड़क** (भू-अधिग्रहण कानून 2013)	11
◆ **भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं**	12

साक्षर भारत

राज्य संदर्भ केंद्र
राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति
7-ए, झालाना संस्थान क्षेत्र, जयपुर-302004

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली 110001
वेबसाइट : www.mhrd.gov.in, www.Mygov.in